

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/207

रीवा दिनांक : 28-3-2025

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
महात्मा गांधी कालेज,
पन्ना रोड, सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2024-2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05-02-2025 के आइटम क्रमांक 3(08) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2024-2025 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-360सीट।
2	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-सभी अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रतिकक्षा 120सीट एवं 180सीट।
3	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-प्रतिसमूह 120सीट।
4	पी.जी.डी.सी.ए.-300सीट।
5	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-300सीट।
6	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, हिन्दी, कम्प्यूटर-120सीट एवं कम्प्यूटर के प्रति ग्रुप 300सीट।
7	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी, जुलाजी, बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर-मैथ ग्रुप 150 सीट, बायोग्रुप 150सीट, बायोटेक ग्रुप 150सीट, कम्प्यूटर साइंस प्रतिग्रुप-200सीट।
8	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी-100-100सीट।
9	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न कम्प्यूटर साइंस-150सीट।
10	बी.ए.एल.बी. (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष-60सीट।
11	एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
12	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न बायोटेक्नालाजी-35सीट।
13	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न कमेस्ट्री-35सीट।
14	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न गणित-70सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या और जर्नल्स की संख्या में वृद्धि करें।
3. प्रयोगशाला को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025-2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)